समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलाअन्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं उसपर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन /बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 14-10-2013 एवं 15-10-2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत् छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद श्री रामकृष्ण झा, पिता- श्री कान्त झा, सा0- करामा, थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 253/श0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली- 1962 के नियम -63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त- 9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 6/66 (पुरैनी थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। उल्लेखनीय है कि श्री रामकृष्ण झा, पिता- श्री कान्त झा, सा0- करामा, थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा को प्राप्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 6/66 (पुरैनी थाना) पर दो नाली बन्दूक संख्या- 607 धारित है।

थानाध्यक्ष, पुरैनी के ज्ञापांक 286/14, दिनांक 22-03-2014 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री रामकृष्ण झा, की मृत्यु हो जाने के कारण अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। यह भी अंकित किया गया है कि शस्त्र आलमनगर थाना के मालखाना में जमा है।

अतएव थानाध्यक्ष, पुरैनी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के अन्तर्गत श्री रामकृष्ण झा, पिता- श्री कान्त झा, सा0- करामा, थाना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 6/66 (पुरैनी थाना) को ''रद्द'' किया जाता है एवं स्व0 रामकृष्ण झा के दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 6/66 (पुरैनी थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 607 को आलमनगर थाना के मालखाना में शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् जमा करने की धटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

स्व0 रामकृष्ण झा के उत्तराधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का तामिला थानाध्यक्ष, पुरैनी अपने स्तर से सुनिश्चित करायेगें।

थानाध्यक्ष, आलमनगर को निदेश दिया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए संबंधितों को दो नाली बन्दुक सं0- 607 हस्तगत नहीं करायेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी के उत्तराधिकारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में ''रद्द'' प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 222 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 17-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, पुरैनी/ थानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।